



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—अप्रैल, 2020 सत्र

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

की अनुपूरक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 की कार्य सूची के पद क्रमांक-4 के उप पद (2) के पश्चात् क्रमशः निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जायः—

- (3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय शालाओं के छात्र-छात्राओं को रैली में सम्मिलित कराये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री देवब्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले में चार फर्मों द्वारा वाणिज्यिक कर जमा नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रभावित किसानों को पुनर्वास पैकेज राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 में ग्राम बनारी, हाथीटिकरा स्थित रक्सा नाले को बंद कर दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (7) सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, शैलेष पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश में संचालित पोल्ट्री फार्म में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (8) श्री संतराम नेताम, सदस्य, दंतेवाड़ा सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में चिकित्सा सामग्री एवं औषधि खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर के स्काई-वॉक पर निर्णय लेने में विलंब किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत गोमर्डा अभ्यारण्य में अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (13) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के मुख्य मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (14) श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य, ई-पंजीयन के दौरान प्रोटल की गति धीमा होने की ओर वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (15) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश के गौठानों में गायों (मवेशियों) की मौत होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (16) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, जिला सरगुजा, थाना लुण्डा में दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (17) श्री संतराम नेताम, सदस्य, बस्तर क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण के ठेके हेतु फर्जी एफडीआर जमा किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (18) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, रायगढ़ जिले के पखनाकोट आदिवासी बालक छात्रावास के एक बालक की मौत होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (19) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, भिलाई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा घोषित विद्युत दरों में की गई कमी का लाभ नहीं मिलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (20) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कबीरधाम जिले में संचालित शक्कर कारखानों में गन्ना खरीदी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (21) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर स्थित व्ही.आई.पी. स्टेट, शंकर नगर के निवासियों की समस्याओं का निराकरण न हो पाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (22) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सुश्री शकुंतला साहू, सदस्य, बलौदाबाजार में खाद्य विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (23) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में बिजली बिल की स्पॉट बिलिंग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (24) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा परियोजना की इकाई बंद होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (25) श्री संतराम नेताम, सदस्य, केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भण्डारसिवनी उद्वहन सिंचाई योजना में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (26) श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य, मानपुर विकासखण्ड के सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (27) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा बाईपास सड़क का निर्माण नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (28) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा नगर पालिका अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का कार्य आदेश जारी नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (29) श्री अजीत जोगी, सदस्य, जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (30) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव के सेवा सहकारी समिति मर्यादित छुरिया द्वारा किसानों को धान खरीदी की राशि का भुगतान रोके जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (31) सर्वश्री संतराम नेताम, कुलदीप जुनेजा, सदस्य, राजधानी रायपुर में नकली दवाईयों की बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (32) श्री विकास उपाध्याय, सदस्य, राजधानी रायपुर में संचालित सिटी बस सेवा की बदहाल व्यवस्था होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कार्य सूची के पद क्रमांक-9 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जायः—

9. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आय व्ययक में सम्मिलित

अनुदान की मांगों पर मुख्यबंध (गिलोटिन)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री –

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
	65	विमानन विभाग
	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)
	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल
	67	लोक निर्माण कार्य – भवन
	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	3	पुलिस
	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
	5	जेल
	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मांग संख्या	37	पर्यटन
	28	राज्य विधान मण्डल
	13	कृषि
	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
	16	मछलीपालन
	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
	23	जल संसाधन विभाग
	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय
	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	33	आदिम जाति कल्याण
	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
	49	अनुसूचित जाति कल्याण
	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	27	स्कूल शिक्षा
	17	सहकारिता
	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
	36	परिवहन
	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
	10	वन
	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय
	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	18	श्रम
	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मांग संख्या	34	समाज कल्याण
	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन
	35	पुनर्वास
	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
	20	लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी
	56	ग्रामोद्योग
	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
	44	उच्च शिक्षा
	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
	43	खेल और युवक कल्याण
	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

**कार्य सूची के पद क्रमांक—9 के पश्चात् नवीन पद क्रमांक 10 को
निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाय—**

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक—2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (4) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (5) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

- (6) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (7) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (9) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (10) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (11) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (12) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (13) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (14) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (15) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

- (16) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

- (17) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (18) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (19) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (20) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (21) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (22) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (23) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- (24) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

- (25) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये। पुरःस्थापित करेंगे।

- (26) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

- (27) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

- (28) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

कार्य सूची के पद क्रमांक—10 को पद क्रमांक 11 के रूप में पढ़ा जाय

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,

दिनांक 26 मार्च, 2020